



निविदा प्रपत्र फार्म टेका वर्ष

2019-2020 व 2020-2021

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN-U75132RJ1978SGC001781

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

Handwritten signature

निविदा प्रपत्र संख्या -----
निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500/- मात्र
रसीद संख्या -----दिनांक:-----

हस्ताक्षर
क्षेत्रीय प्रबन्धक-----

एक वर्ष (2019-2020) व दो वर्ष (2019-2020 व 2020-2021) के लिये निगम फार्मों को बीज उत्पादन हेतु ठेके पर लेने के लिए निविदा प्रपत्र

फार्म का नाम.....

अमानत (EMD) राशि रूपये 50000/- मात्र जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या/बैंकर्स चैक/नकद
----- दिनांक -----

निविदादाता का नाम -----

पूरा पता -----

दूरभाष नम्बर ----- मोबाइल नम्बर -----

निविदादाता द्वारा दी गई वर्षवार दर :-

क्र. सं.	वर्ष	ठेका राशि अंको में (घास, लूम व पातडी सहित)	ठेका राशि शब्दों में (घास, लूम व पातडी सहित)
1	2019-20		
2	2020-21		

हमने उपरोक्त वर्णित फार्म का निरीक्षण कर लिया है व निविदा की शर्तें भी पढ़ ली हैं, जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारी दरे निविदा की शर्तों अनुसार ही दी गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक:-

निविदादाता का नाम व पूरा पता

स्थान:-

ccen02

फार्म ठेका शर्तः-

1. राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान के पास फार्म का ठेका लगातार तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान के पास फार्म का ठेका पूर्व में एक वर्ष हेतु है तो, उच्चतम बोली देने पर दो वर्ष, अगर गत दो वर्षों से फार्म ठेके पर है तो, उच्चतम बोली देने पर वह एक वर्ष हेतु ठेका लेने का ही पात्र होगा एवं जिसके तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वह फार्म का ठेका लेने का पात्र नहीं होगा।
2. किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान जिसके द्वारा फार्म ठेके पर लिया जायेगा को क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में हैसियत प्रमाण पत्र एवं चल व अचल सम्पत्ति का विवरण/जानकारी जो कि न्यूनतम ठेका राशि के समकक्ष हो को, अनिवार्य रूप से कार्यादेश प्राप्त करते समय जमा कराना होगा।
3. ठेकेदार/फार्म/व्यक्ति को निविदा के साथ 50000/-रु. प्रति फार्म हेतु अमानत राशि (EMD) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा फार्म की निर्धारित फीस रु. 500/- जमा कराकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्रकाशन की दिनांक से 10.05.2019 को प्रातः 11:30 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त किये जा सकेंगे।
5. निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 10.05.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करायी जा सकेगी एवं प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 1:00 बजे निर्धारित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निर्धारित समय उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जावेगी।
6. यदि राज्य सरकार द्वारा निगम के किसी फार्म की अथवा फार्म के हिस्से की मांग की जाती है तो राज्य सरकार की मांग के मद्देनजर ठेकेदार को पूर्ण फार्म अथवा फार्म के निर्देशित हिस्से को पुनः निगम को लौटाना होगा (इस बाबत सीजन समाप्ति के साथ ही अथवा तीन माह के नोटिस पर फार्म का हिस्सा अथवा पूरा फार्म निगम को पुनः लौटाना होगा)। निगम को प्राप्त होने वाली ठेके की राशि का निर्धारण इसी के अनुरूप किया जाएगा तथा निर्धारित राशि ठेकेदार को बिना किसी शर्त के माननी होगी।
7. फार्म जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा तथा निविदा पश्चात फार्म पर किसी भी अन्य सुविधा की यदि मांग की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। जिन फार्मों पर सिंचाई का साधन या ट्यूबवेल स्थित है वहाँ ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों से ही इनका पानी उपयोग में ले सकता है।
8. फार्म को ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश फसल नहीं हो पाती है तो निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बीजोत्पादन के लिए आधार/प्रजनक बीज निगम द्वारा निर्धारित दर पर नगद ही विक्रय किया जावेगा।
10. ठेकेदार द्वारा यदि फार्म एक वर्ष के लिए ही लेना है तो एक वर्ष की दर, यदि दो वर्ष हेतु लेना है तो दो वर्ष की दर अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. फार्म पर ठेकेदार द्वारा बिजली के किये गये समस्त प्रकार के उपयोग (निगम की सबमर्सिबल मोटर लगी होने पर ठेकेदार द्वारा उसका उपयोग करने व अन्य उपयोग) करने पर बिजली के बिल का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। ठेकेदार द्वारा ट्यूबवेल/बोरवेल/कुँए तथा अन्य बिजली कनेक्शन का उपयोग नहीं करने की दशा में भी बिजली विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले न्यूनतम बिल का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जाना अनिवार्य होगा। बिजली बिल के भुगतान की रसीद क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करानी होगी। बिजली अन्य कृषि उपकरण/मशीनरी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
12. फार्म पर उपलब्ध कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय निगम का होगा। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त मशीनरी व मोटर आदि की मरम्मत, रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार फार्म के ठेके से पूर्व फार्म पर स्थित समस्त परिसम्पत्ति (चल व अचल) हेतु अन्डरटेकिंग देगा व ठेका पूर्ण होने पर यथा स्थिति में निगम को लौटायेगा। विभागीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में इसकी भरपायी ठेकेदार से की जावेगी।
14. पानी की नालियां/सिंचाई धोरे इत्यादि की सफाई स्वयं को करनी होगी।
15. बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग व अन्य कार्य प्रमाणीकरण मापदण्डों के अनुसार ही रखना/करना होगा।
16. बीज की बुवाई, रोगिंग, फसल कटाई, थ्रेसिंग, बीज को बोरियों में भरना इत्यादि कार्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही सम्पन्न कराये जावेंगे।
17. यदि ठेकेदार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण के दौरान दी गयी न्यूनतम अनुमानित उपज के 80 प्रतिशत से कम रॉ बीज जमा कराया जाता है तो उसे क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में उस सीजन के छः माह(खरीफ सीजन की फसलों के लिए अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा रबी फसलों के लिए अक्टूबर से मार्च माह तक) के ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में जमा करानी होगी। यदि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा अनुमानित उपज आंकलन करने के पश्चात् मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से उत्पादन न्यूनतम अनुमानित उपज से कम होता है तो उक्त परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जुर्माना राशि माफ करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।
18. बीजोत्पादन के लिए कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार बीज उपचार, खाद एवं उर्वरक उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोग में लाने होंगे।
19. बीज उत्पादन प्रक्रिया पर होने वाले समस्त प्रकार के खर्च ठेकेदार को वहन करने होंगे।
20. फार्म पर जो भी परिसम्पत्तियां ठेकेदार को सौंपी जायेंगी, उनकी सुरक्षा तथा ठेका अवधि समाप्त होने के बाद उनको वापिस उसी अवस्था में निगम को लौटाने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा निगम की किसी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर या निगम को वापिस नहीं लौटाने पर निगम को होने वाली हानि का आंकलन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जावेगा तथा यह राशि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

21. फार्म पर स्थित समस्त पेड़ों/वृक्षों पर संख्या (नम्बर) का आंकलन निगम द्वारा किया गया है जिनको पूर्ण संख्या में ठेका समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को गिनवाने होंगे तथा यदि इसमें कमी पायी जाती है या ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई करवायी जाती है तो ठेकेदार से इनकी कीमत वसूल की जावेगी तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जावेगी। ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध घास/लूम/पातडी का निस्तारण करने से पूर्व क्षेत्रीय प्रबन्धक को सूचना देनी होगी तथा निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही इनके निस्तारण की कार्यवाही करवायी जा सकेगी।
22. ठेकेदार द्वारा दो वर्ष के लिये फार्म ठेके पर लेने की स्थिति में फार्म में कुल बोये जाने वाले क्षेत्र का 10 प्रतिशत हरी खाद (ग्रीन मैन्योरिंग) हेतु प्रयोग में लेना होगा। साथ ही कृषि विभाग के मानदण्डों के अनुसार किसी एक वर्ष में गोबर की खाद (एफ.वाई.एम.) का प्रयोग बीज उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र में करना होगा।
23. फार्म पर उत्पादित बीज की राशि का भुगतान ठेकेदार को निगम की निर्धारित क्रय नीति के अनुसार किया जायेगा तथा बीज उत्पादन व विधायन के समस्त व्यय सामान्य बीज उत्पादकों की तरह स्वयं ठेकेदार को वहन करने होंगे।
24. ठेकेदार का स्टेटस केवल एक लाइसेंस का होगा व उसे केवल बीज उत्पादन के लिए फार्म को काम में लेने का हक होगा। फार्म पर सदैव कब्जा निगम का रहेगा व ठेका अवधि के अन्तिम सीज़न में फार्म पर उत्पादित रॉ बीज निगम के विधायन संयन्त्र पर जमा कराने के पश्चात ठेकेदार का फार्म में प्रवेश बन्द कर दिया जायेगा।
25. ठेकेदार को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान के अनुसार ही बीजोत्पादन लेना होगा तथा अन्य कोई भी फसल नहीं बोई जायेगी। यदि फार्म प्लान के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की फसल ठेकेदार द्वारा बोयी जाती है तब संबंधित फार्म की कुल ठेका राशि की 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में संबंधित ठेकेदार से वसूली जायेगी। मुख्यालय द्वारा चारा फसलों के बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन किये जाने पर फार्म के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारा बीजोत्पादन भी लिया जाना अनिवार्य होगा। बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। फार्मों पर मुख्य रूप से प्रजनक से आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम ही आवंटित किया जावेगा। प्रजनक बीज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार से प्रमाणित बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति के उपरान्त किया जा सकेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जारी फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक द्वारा बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करवाया जाकर बीजोत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।
26. ठेकेदार को फार्म के किसी भी क्षेत्र को अन्य कृषकों को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
27. अनुबन्ध की शर्तों के तहत दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रथम अपील प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी वित्त विभाग राजस्थान सरकार होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

28. क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेका स्वीकृति की सूचना देने के सात दिवस के अन्दर सफल निविदा दाता को निविदा की शर्तों का 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध के साथ ठेकेदार द्वारा कुल ठेका राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि व अग्रिम चैक निम्नानुसार क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा कराने होंगे -

I. प्रतिभूति राशि - कुल ठेका राशि की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (यदि ठेका एक वर्ष के लिए है तो एक वर्ष के ठेके की राशि/यदि ठेका दो वर्ष के लिए है तो दोनों वर्षों के ठेके की कुल राशि) के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा करानी होगी। निविदा के समय प्रस्तुत ई.एम.डी. का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जायेगा।

II. अमानत (EMD) राशि का निस्तारण :-

यदि किसी फार्म के ठेके के समय अमानत (EMD) राशि प्राप्त की जाने वाली 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि से अधिक है तो अमानत (EMD) राशि में से 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि रखते हुए शेष राशि ठेकेदार को लौटा दी जावेगी अथवा फार्म ठेके की 25 प्रतिशत एक मुश्त राशि में समायोजित कर ली जावेगी।

III. ठेका राशि का भुगतान-

(1) एक वर्ष की स्थिति में:- कार्यादेश से पूर्व अनुबन्ध के समय कुल ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि एकमुश्त क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा करानी होगी। ठेके के लिए शेष राशि के तीन समान किस्तों के चैक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा कराने होंगे। इन चैको में किस्त जमा कराने की अन्तिम दिनांक अंकित होगी। इसके लिए सभी चैको पर किस्त की नियत राशि एवं वसूली की अंतिम दिनांक क्रमशः 31 अगस्त, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च अंकित करते प्रस्तुत करने होंगे।


(2) दो वर्ष की स्थिति में:- कार्यादेश से पूर्व अनुबन्ध के समय एक वर्ष की कुल ठेका राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा करानी होगी। प्रथम वर्ष के ठेके के लिए शेष राशि के तीन समान किस्तों के चैक एवं दूसरे वर्ष की ठेका राशि के चार (4) समान किस्तों के चैक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में जमा कराने होंगे। इन चैको में किस्त जमा कराने की अन्तिम दिनांक अंकित होगी। इसके लिए प्रथम वर्ष के सभी चैको पर किस्त की नियत राशि एवं वसूली की अंतिम दिनांक क्रमशः 31 अगस्त, 31 दिसम्बर, 31 मार्च व दूसरे वर्ष के सभी चैको पर दूसरे वर्ष की ठेका राशि के अनुसार किस्त की नियत राशि एवं वसूली की अंतिम दिनांक क्रमशः 31 मई, 31 अगस्त, 31 दिसम्बर व 31 मार्च अंकित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे।

(3) फार्म का ठेका प्रतिवर्ष अलग-अलग उच्चतम निविदादाता द्वारा लिये जाने की स्थिति में :-

यदि फार्म ठेका की कार्यवाही दो वर्ष हेतु की जाती है तथा फार्म का ठेका प्रतिवर्ष अलग-अलग उच्चतम निविदादाता को अनुमोदित किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ष के ठेकेदार से कार्य आदेश के समय प्रथम वर्ष हेतु कुल ठेका राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त एवं 03 अग्रिम चैक प्राप्त किये जायेंगे। यदि आगामी वर्ष के लिए अन्य ठेकेदार है, तो उससे तत्काल उसी समय रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार व 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (जिस वर्ष का ठेका है उस राशि का) प्राप्त की जायेगी, तथा जिस वर्ष का ठेका स्वीकृत किया गया है, उस वर्ष ठेके का कार्यादेश देते समय संबंधित ठेकेदार से उस वर्ष के ठेके की कुल स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत एकमुश्त एवं अग्रिम चैक प्राप्त किये जायेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (4) फार्म ठेके के प्राप्त चैक निर्धारित तिथि को बैंक में जमा कराये जावेंगे तथा चैक बाउन्स होने की स्थिति में ठेकेदार को फार्म पर कार्य नहीं करने दिया जावेगा तथा एक माह की देरी तक राशि जमा कराने पर प्रति सप्ताह चैक की राशि का एक प्रतिशत की दर से जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। एक माह के बाद राशि जमा कराने की स्थिति में चैक की राशि का 5 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल की जावेगी। जुर्माना राशि माफ करने या कम करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
29. निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र (Agreement) नहीं करने एवं निर्धारित धरोहर राशि जमा नहीं कराने पर निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
30. ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार अनुबंध करने, प्रतिभूति राशि व पूर्ण ठेका राशि के चैक जमा करवाने के पश्चात् ही क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कार्यादेश जारी किया जावेगा। इसके बाद फार्म अनुमोदित ठेकेदार को नियमानुसार सौंपा जायेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात ही क्षेत्रीय प्रबंधक/मुख्यालय द्वारा अनुमोदित फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबंधक बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करायेगा।
31. ठेकेदार द्वारा यदि फार्म ठेका अवधि के मध्य में ठेका छोड़ा जाता है तो फार्म ठेके की समस्त बकाया राशि फार्म ठेकेदार द्वारा निगम को देय होगी।
32. क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति राशि (SD) ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् लौटायी जावेगी। प्रतिभूति राशि हेतु ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित संयन्त्र प्रबंधक से बकाया नहीं का प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्राप्त कर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा कराना होगा।
33. दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न होने पर जयपुर स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा।

 संलग्न:- फार्म पर लिये जाने वाला बीजोत्पादन कार्यक्रम का फार्म प्लान। (क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा टेण्डर फार्म के साथ दिया जायेगा।)

क्षेत्रीय प्रबंधक के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व पूरा पता

फार्म पर लिये जाने वाले बीज उत्पादन का फार्म प्लान:-

क्र.सं.	सीजन	फसल	बीज का वर्ग	अनुमानित क्षेत्रफल (है.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

क्षेत्रीय प्रबंधक के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

emr

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जयपुर

फैक्स -0141 2227513 E-mail - rajseedsprod@gmail.com

क्र. एफ 2(एल-जी)/फार्मर्स/2019-20/1809

दिनांक: 26.05.19

निविदा सूचना

निगम अपने अधीनस्थ निम्न फार्मों को 02 वर्ष (2019-20, 2020-21 तक) के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु ठेके पर दिये जाने के लिए निजी संस्थाओं/व्यक्तियों से सीलबन्ध निविदाएं दिनांक 10.05.2019 को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित करता है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 01:00 बजे खोली जावेगी।

क्र. सं.	फार्म का नाम	जिला	अमानत राशि रू.	निविदा प्राप्त करने एवं खोले जाने वाले क्षेत्रीय कार्यालय का नाम व पता
1	पदमपुर	श्रीगंगानगर	50000	क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजसीड्स, कार्यालय श्रीगंगानगर।
2	कवाई	बारां	50000	क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजसीड्स, कार्यालय कोटा।

(नोट :- फार्म का ठेका अधिकतम दो वर्ष हेतु लिये जाने की स्थिति में अमानत राशि उक्त दर्शायी गई राशि की दुगुनी जमा करानी होगी। निगम फार्मों पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दिये गए फार्म प्लान के अनुसार ही उत्पादन लिया जाना अनिवार्य है।

उक्त फार्मों का निरीक्षण संबंधित फार्म पर जाकर किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। ठेके के नियम/शर्तें व निविदा फार्म संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(जसवन्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856